तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प उरनरोल मे पेश हुई। वकील वादी हाजिर पेशकार सरकार हाजिर। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया पक्षकार पेशकार सरकार का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया मामला इस प्रकार है कि मौजा उरनरोल तहसील भोपालसागर की आ0नं0 307/5 रकबा 6 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1822/943 रकबा 0.10 हे0 है उक्त आराजी वादीया ने दिनांक 16-12-95 को जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद कर कब्जे ली व वादीया काश्त कर रही है आ0न0 307/5 नक्शे मे नजदीक मे जहा है वही कब्जा है तथा सेटलमेन्ट के कर्मचारियो ने हाल नक्शे मे 1822/943 बहुत दूर बता रखी है व मौके पर पड़त पड़ी है जो प्रतिवादी के कब्जे मे है वादीया का कोई कब्जा नही है। उक्त आराजी पर वादीया का कब्जा है उस आराजी को हाल नक्शे मे आ0न0 928 बता रखी है जो साबिक आ0न0 316/1 से बनना बताया गया है जो मिलान शीट मे गलत है क्योकि आ0न0 316/1 रकबा 16 बिस्वा हाल आ0न0 928 रकबा 0.17 हे0 वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा दिनांक 3-1-2003 को खरीद कर कब्जे ली है। आ0न0 1822/943 रकबा 0.10 हे. जो वादीया के नाप पर है उसको मेहकमा चरनोट सरकार दर्ज करायी जावे यह कि वादीया का कब्जा हाल आ0न0 323 रकबा 4.10 हे0 मे से 0.10 हे व हाल ख0न0 929 रकबा 0.19 हे के 0.07 हे. पर है जो सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से चरनोट सरकार दर्ज कर दी है जबकि	

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखंड अधिकारी, भूपालसागर,
चित्तौड़गढ़ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रविष्टि उक्त आराजी वादीया नाम दर्ज होनी चाहिये। जो आ०न० 323 मे से 0.10 हे० व आ०न० 929 रकबा 0.19 हे. मे 0.07 हे. की वादीया तन्हा खातेदार काश्तकार है व हाल कब्जा मे दुरुस्ती कर्यी जाकर जमाबन्दी मे काल रंग अनुसार दुरुस्ती कराई जावे। आ०न० 1822/943 रकबा 0.10 हे चरनोट दर्ज कराई जावे व 928 रकबा 0.17 हे मे से 0.10 हे. पर कब्जा होने से .10 हे नाम पर रखी जावे। हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। जवाब पेशकार आकार लिया गया जिसमे उक्त समस्त तथ्यो को अस्वीकार किया है। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार है।
	(1) आया आ०न० 323 रकबा 4.18 हे. मे से रकबा 0.10 हे० व आ०न० 929 रकबा 0.19 हे. मे से रकबा 0.07 हे. कुल रकबा 0.17 हे. आराजी वादीया के खातेदारी अधिकार की होकर वादीया के कब्जे काश्त मे है। वादीया उपरोक्त आराजी को राजस्व रेकार्ड मे उसके नाम पर कराने की अधिकारी है -
	— जिम्मे वादीया
	(2) आया आराजी नम्बर 1822 बटा 943 रकबा 0.10 हे० आराजी वादीया के नाम पर है कब्जा सरकार का है जो मौके पर पडत है जिसको रेकार्ड मे मद्दफुन चरनोट रकबा 0.17 हे० दर्ज की जानी चाहिये।
	— जिम्मे प्रतिवादी
	(3) आया आराजी नम्बर 928 रकबा 0.17 हे० राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है उस जगह रकबा 0.10 हे दर्ज होनी चाहिये -
	जिम्मे वादीया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नियम (26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(4) आया मौके अनुसार रकबा रेकार्ड में संशोधन कराने की अधिकारी है। पक्ष वादीया 5. दादरसी पत्रावली के अवलोकन से व मौके रिपोर्ट से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष मे सिद्ध होती है मौके रिपोर्ट अनुसार खातेदारी आ.न. 307/5 रकबा 0.08 बिस्वा के नाप 873 वी. फुट हुये हाल अ.न. 1822/943 0.10 हे. बताये गये है खातेदारी रेकार्ड मे उक्त आराजी भेरी बाई पत्नी शंकर लाल धाट जा. ढेर के नाम दर्ज थी जो हाल मे भी दर्ज है साथ ही आ० न० 928 रकबा 0.17 हे. मे से 0.10 हे पर भेरीबाई का कब्जा है रकबा अनुसार पूर्व से ही निरन्तर रहा है। प्रस्तुत आ० न० 928 का रकबा भी 0.10 हे ही है जो मौके अनुसार आ० न० 307/5 से बनना पाया जाता है लेकिन भू-प्रबन्ध के दौरान रकबा भी कम दिया व नम्बर भी गलत बन गये। 307/5 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने नवीन आ.न. 1822/943 खातेदार स्थान से काफी दूर होकर रेकार्ड व मौके अनुसार नीडजत है अतः उक्त तनकी वादीया के पक्ष मे सिद्ध होने से वादीया राजस्व रेकार्ड मे नाम	

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी, भू-प्रबन्ध
(राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कराने की अधिकारी है। तनकी संख्या 2 जो प्रतिवादी को सिद्ध कराती थी - जो प्रतिवादी द्वारा अनुपस्थित रहने के चलते वहस से पत्रावली का अवलोकन किया आ०नं० 1822/ 943 रकबा 0.10 हे मौके पर पड़त होने के सम्बन्ध में मौके रिपोर्ट से स्पष्ट है अतः उक्त के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट के आधार पर परती दर्ज किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तनकी संख्या 3 जो वादीया को सिद्ध करानी थी कि आ० नं० 928 रकबा 0.17 हे. राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसमें से 0.10 हे. वादीया के नाम दर्ज होनी चाहिये का मौके रिपोर्ट अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि वादीया के कब्जे में 0.10 हे. भूमि है अतः उक्त तनकी वादीया के पक्ष में सिद्ध होती है। तनकी संख्या 4 - नक्शा ट्रेस में संशोधन उक्त तनकी वादीया के पक्ष में सिद्ध होती है आ० नं० 323 के रकबा 4.18 हे में से 0.10 हे रकबा व 929 रकबा 0.14 में से 0.07 हे कुल 0.17 हे वादीया की खतेहानी में दर्ज किये जाने पर तरमीम व आ० नं० 928 रकबा 0.10 हे. की वादीया के नाम पर खाते पर तरमीम करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त ~~[illegible]~~ तनकी वादीया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के पक्ष मे सिद्ध होती है। अतः सम्पूर्ण पत्रावली, शपथ-पत्र मौका रिपोर्ट, दस्तावेजात के अवलोकन से यह निर्णय लिया जाता है कि मौजा उखलरोल प० ह० उखलरोल तहसील भोपालसागर की आ० ख० 323 रकबा 4.18 हे. मे से रकबा 0.10 हे० व आ० न० 929 रकबा 0.19 हे० मे से रकबा 0.07 हे. कुल रकबा 0.17 हे० वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड की जाने की स्वीकृति दि जाती है। व आ० ख० 1822/943 रकबा 0.10 हे. जो वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है को परनोट दर्ज किया जावे। आ० ख० 928 रकबा 0.17 हे० मे से 0.07 हे परनोट दर्ज किये जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन हो व नक्शे मे तरमीम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। अन्तिम पत्रावली डिग्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner